न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3367–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–08–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ के प्रकरण कमांक 47/अ–6/2010–11

.....

1– सफीर खान
2– सुलेमान खान
3– अब्दुल नजी। खान
4– वाहिद खान
निवासीगण–ग्राम अमिरती, तहसील–गुढ़
जिला–रीवा(म0प्र0)

——— आवेदकगण

विरूद्ध

अब्दुल हफीज खां बल्द श्री मिर्जाद खां
निवासी– ग्राम अमिरती, तहसील–गुढ़
जिला–रीवा(म0प्र0)

——— अनावेदक

.....

श्री हेमकुमार अग्निहोत्री, अभिभाषक आवेदकगण
श्री दिलीप कुमार, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील–गुढ़ के आदेश दिनांक 21–08–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अमिरती पंजी क्र0 63 आदेश दिनांक 20.01.2001 पर भूमि सर्वे क्र0 260 रकबा 0.044 है0 ग्राम धांधी के नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ जिला–रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही

प्रारंभ की, जहां दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 21.08.2014 को म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु स्वीकार किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में अंकित है। अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्को पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अनावेदक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अमिरती के पंजी क्रमांक 63 आदेश दिनांक 20.01.2001 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 11.07.2011 को अपील पेश की गई । विलम्ब के सम्बध में अनावेदक द्वारा दिया गया तर्क मान्य किये जाने योग्य है उनको प्रकरण पक्षकार नहीं बनाया एवं बिना सूचना ही प्रदान की गई है। इसलिये जानकारी दिनांक से समय–सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की गई है। नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को न तो तक्षकार बनाया और न ही प्रकरण में किसी प्रकार की सूचना ही प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मानकर म्यांद की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क नियत करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनकर म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है । तकनिकी आधार पर किसी पक्ष को लाभ प्रदान करना उचित नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अनुविभगीय अधिकारी द्वारा प्रकरण समयावधि में मानने में कोई त्रुटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2014 होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर